संख्या-169/2015/1646जेएल/22-3-15-200(2)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2015***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति कें सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-17940/प्रोबेशन-2/2015, दिनांक 22-05-2015 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 57(सत्तावन) सिद्धदोष बंदियों (सूची संलग्न) को दिए गये दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात उन्हें 15(पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु **गृह अवकाश पर एक साथ मुक्त कर दिया जाय।** बंदी को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

I. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।

II. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अर्न्तगत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

III. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

IV. गृह अवकाश उन्ही बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानको के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

V. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।

----क्रमशः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

VI. बंदी के पास रहने के लिए घर हो तथा उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाले धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहें।

VII. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जाएगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि के समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिए जाय।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया इस आदेश की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार करें तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-169/2015/1646जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूची सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या:169/2015/1646जेएल/22-3-15-200(2)/2015, दिनांक: 11 जून, 2015 की संलग्नक सूची

क्र0स0	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	हरिशंकर उर्फ श्रवण कुमार उर्फ शंकर पुत्र श्री रघुबीर	हरदोई	13547
2	प्रेम नरायन पुत्र श्री द्वारिका	कानपुर देहात	13548
3	सालिकराम पुत्र श्री द्वारिका	श्रावस्ती	13571
4	शिव उर्फ सियाराम पुत्र श्री शोभनाथ	सोनभद्र	16063
5	छोटेलाल पुत्र श्री परमेश्वर	बहराइच	13601
6	राजकुमार पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल रस्तोगी	सीतापुर	13602
7	राधेश्याम पुत्र श्री किशुनदत्त	गोण्डा	13603
8	दूधनाथ पुत्र श्री राम प्रसाद	बस्ती	13628
9	बेचन पुत्र श्री रामलखन	सोनभद्र	16066
10	खुन्नू पुत्र श्री मोल्हे	बहराइच	13697
11	रामकुमार पुत्र श्री अवधलाल	उन्नाव	14003
12	संकटा पुत्र श्री जानकी	लखीमपुर खीरी	14013
13	रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ	सोनभद्र	16065
14	गुड्डू उर्फ विनय कुमार पुत्र श्री दधीचि सिंह	हरदोई	14025
15	अनिल कुमार पुत्र श्री सत्यदेव	कासगंज	16054
16	हरीराम पुत्र श्री मंगली	जालौन	14029
17	ओम प्रकाश पुत्र श्री मलखे	हरदोई	14260
18	लालजी पुत्र श्री बद्री	गोरखपुर	14073
19	रामशंकर पुत्र श्री रामसेवक	बाराबंकी	14290
20	हबीब पुत्र अब्दुल लतीफ	बदायूँ	14326
21	अनिल कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद	हरदोई	14345
22	नवाब अली उर्फ नवाबू पुत्र श्री तुराब अली	हरदोई	14346
23	राजेश उर्फ राजू पुत्र श्री प्रेम गिरि	लखीमपुर खीरी	16068
24	रमेश पुत्र श्री रामजीमल	बदायूँ	14479
25	अब्दुल वसीम पुत्र अब्दुल मोवीन	लखनऊ	14491
26	अब्दुल वहाव पुत्र मो0 मियां	सहारनपुर	14492
27	फहीमुद्दीन उर्फ फैमुद्दीन पुत्र श्री सगीर	मुजफ्फरनगर	14494
28	माहिर पुत्र श्री जुबैदा	बुलन्दशहर	14495
29	अभय सिंह पुत्र श्री छत्रपाल सिंह	बाँदा	14503
30	राधे पुत्र श्री गब्बू केवट	गोरखपुर	16072
31	रामदयाल पुत्र मंगा	हरदोई	14528
32	सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला	उन्नाव	14530
33	गंगा पासी पुत्र बंशीधर	मिर्जापुर	16064
34	भगवानदीन पुत्र श्री सत्यनरायन	उन्नाव	14568
35	कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू	कन्नौज	16069

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

36	खलक सिंह पुत्र श्री राधारचण	महोबा	14588
37	पंचम पुत्र श्री सुखलाल उर्फ कल्लू	मिर्जापुर	14589
38	रविदास पुत्र श्री नरायन	महोबा	14592
39	भगवानदीन पुत्र श्री रामभजन	सीतापुर	14613
40	प्रीतम पुत्र मुखराम	बिजनौर	14621
41	अमीर हुसैन पुत्र श्री शाहिद हुसैन	लखीमपुर खीरी	14688
42	रौनक अली पुत्र श्री शाह अली	लखनऊ	14705
43	रामशंकर पुत्र श्री गंगा कहार	बाराबंकी	14265
44	शिवमूर्ति मिश्र पुत्र श्री प्रेमनाथ मिश्र	सुलतानपुर	14278
45	कल्पनाथ उर्फ कल्पू पुत्र श्री रामलखन	बहराइच	14333
46	गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद	लखनऊ	14707
47	ओम प्रकाश पुत्र श्री सुन्दर लाल	सीतापुर	14815
48	गजाधर सिंह पुत्र राम विचार सिंह	बलिया	16055
49	ओम प्रकाश पुत्र श्री खन्ना यादव	लखनऊ	14820
50	मद्दू पुत्र श्री भीखा	बाराबंकी	16058
51	बली सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह	हमीरपुर	14741
52	रफीक पुत्र श्री जफ्फू	हरदोई	14758
53	बाबू पुत्र श्री जफ्फू	हरदोई	14759
54	कन्हैया लाल पुत्र श्री नन्हकउनू	उन्नाव	16052
55	इस्लाम पत्र श्री अली मोहम्मद	एटा	14788
56	मोहन सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह	मेरठ	14792
57	राकेश पुत्र श्री किशनवीर सिंह	बागपत	14797

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।